न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/53/2022	2022/168	18.05.2022	22.07.2024

1.ब्रजमोहन सैन जगन्नाथ सैन उम्र करीब 84 साल जाति सैन (नाई) निवासी ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर (राज०)।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर मालाखेडा जिला अलवर राज०।

––रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजी तजबीज न्यायालय आज्ञा तहसीलदार मालाखेडा (अलवर) इंतकाल नंबर 2659 तारीख 01.11.2021 जिसके द्वारा आराजी खसरा नंबर 624 रकबा 0.35 है० किस्म सिवायचक से किस्म चारागाह वाके ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर गलत तरीक पर खिलाफ मंशाय कानून की है। बमुराद मंसुख तजबीज तहत अदालत व स्वीकार किये जाने अपील अपीलाण्ट।

उपस्थितः–

01.श्री दिनेश कुमार यादव –वकील अपीलाण्ट

02.राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा (अलवर) इंतकाल नंबर 2659 तारीख 01.11.2021 के विरूद्ध पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर साबिक 320 मिन हाल खसरा नंबर 624 रकबा 0.35 है० ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा में वाके हैं जिस आराजी पर मिन अपीलान्ट नेक नियती से काबिज दखिल हैं व तहत अदालत ने उक्त आराजी खसरा नंबर 624 रकबा 0.35 है० किस्म सिवायचक बंजड से गलत तरीक पर चारागाह का इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया जो आदेश मिन अपीलान्ट के बालाबाला बिला अपीलाण्ट को नोटिस जारी किये व बिला अपीलाण्ट के एतराजात समाअत फरमाये व बिला अपीलाण्टान को दस्तावेज पेश करने का मौका दिये व बिला आराजी मुतनाजा का कब्जा देकर व ना ही आराजी मुतनाजा का मौका मुआयना किया गलत तरीके पर तहत अदालत ने जारी किया है जिस आदेश का इल्म अपीलाण्ट को दिनांक 18–04–2022 को तब हुआ तब रैस्पाडेन्ट आराजी मुतनाजा पर आया व आराजी मुतनाजा को दीगर शख्स के हक में अलॉटमेन्ट आदि करने की धमकी दी। जिस पर मिन अपीलान्ट उसी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

दिन नकल इंतकाल मिलने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल इंतकाल तारीख 24–04–2022 को मिली। नकल इंतकाल मिलने पर वकील साहेबान से सलाह व मशवरा लिया जिन्होंने अपील दायर करने की हिदायत दी। अपीलाण्ट ने गांव में जाकर रूपयों पैसों का इंतजाम किया। जिससे बिला देरी अपील पेश की जा रही है। दिनांक 18–04–2022 से पहले उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। जिस देरी के बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 कानून मियाद मय शपथपत्र अलग से पेश है। अपीलाण्ट ने अपील दायर करने में दीदोदानिस्ता देरी नहीं की है व उक्त देरी काबिल माफी है। जबकि रैस्पाडेन्ट को बखूबी इल्म था कि उक्त आराजी मुतनाजा के बाबत एक रेवेन्यू वाद अदालत उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के यहां बअनुवान ब्रजमोहन सैन बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय अलवर व राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी मालाखेडा तहसील मालाखेडा के खिलाफ दायर कर रखा है जो विचाराधीन है।

मिन अपीलाण्ट उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं था व तहत अदालत के निर्णय से मिन अपीलाण्ट के हकूक खातेदारी जायल होते है जिससे मिन अपीलाण्ट को तहत अदालत के हुक्म के खिलाफ अपील दायर करने की इजाजत दी जाये। जिस बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 96 जा० दी० अलहेदा से पेश है। आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नंबर 320 मिन हाल खसरा नंबर 624 रकबा 0.35 है0 ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा में वाके है जो सिवायचक राजस्व रिकार्ड में अंकित कर रखा था, जबकि आराजी मुतनाजा पर मिन अपीलान्ट का कब्जा रैस्पाडेन्ट की मौजूदगी में खुल्लम खुल्ला बिला किसी रोकटोक के आज तक चला आ रहा है एंव अपने कब्जे बाबत मिन अपीलान्ट ने एक दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के बाबत दुरूस्ती इस्तकरारहक स्थाई निषेधाज्ञा का दायर कर रखा हैं एंव इस तथ्य की जानकारी तहत अदालत को होते हुए भी तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की मिन अपीलान्ट आराजी मुतनाजा पर लगातार काबिज दखिल है। मिन अपीलान्ट ने आराजी मुतनाजा में अपनी फसल की सुरक्षा हेतु एव कृषि उपकरण खाद बीज हल ट्रेक्टर वगैरह रखने हेतु कच्चा छप्पर बना रखा है जिसमें मिन अपीलान्ट अपने पशुधन बांधता है।

मिन अपीलान्ट का कब्जा गत 40–50 साल के अधिक समय से आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर चला आ रहा है व मिन अपीलान्ट आराजी मुतनाजा का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व वर्तमान में भी आराजी मुतनाजा पर कब्जा मिन अपीलान्ट का है। मिन अपीलान्ट ने आराजी मुतनाजा की पैनल्टी भी अदा की हैं। तहत अदालत ने बिना मौका देखे बिना मौके के गवाहन के बयान लिए आराजी मुतनाजा को सिवायचक की किस्म चारागाह परिवर्तन करने में भारी भुल की है। आराजी मुतनाजा पर मिन अपीलान्ट नेक नियती से काबिज दखिल है मिन अपीलान्ट को कभी भी रैस्पाडेन्ट ने बेदखल नही किया है ना ही मिन अपीलान्ट के खिलाफ कोई कार्यवाही की है उक्त आराजी में से अन्य आराजी अन्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

काश्तकारो को पूर्व में आवंटन विनियमन की जा चुकी हैं। दीगर एतराजात वक्त समाअत बहस सेवामें ओर अर्ज किये जायेंगे। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट मंजूर फरमाया जाकर तजबीज आज्ञा न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा (अलवर) इंतकाल नंबर 2659 तारीख 01–11–2021 इंतकाल किस्म परिवर्तन चारागाह आराजी मुतनाजा का किया है वो मंसुख फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधे ही बहस करना चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। आराजी खसरा न0 624 रकबा 0.35 है0 राजस्व रिकॉर्डानुसार सिवायचक राजकीय भूमि के रूप में पूर्व से दर्ज था। सक्षम आदेश द्वारा तहसीलदार मालाखेडा द्वारा सिवायचक से चारागाह भूमि के रूप में दर्ज कर दिया है। सारी प्रक्रिया विधिवत नामांतरण प्रक्रिया के तहत हुआ है। अपीलांट का इसमें किसी प्रकार विधिक हित–अहित निहित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या0 अति0 जि0 कले0 एवं अति0 जि0 मजि0 प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान
सरकार